

ADEVRTISEMENT

As per Uttarakhand Order no: 29/2023-XIX-2/37 Food/2022 T.C dated 18-01-2023 applications for suitable candidates for 02 (two) posts of Members are invited in State Consumer Disputes Redressal Commission in the State of Uttarakhand as hereunder:-

State Consumer Dispute Redressal Commission : Members- 02 posts in which 50% from Judicial background and 50% from other background.

Appointments as Member in State Consumer Disputes Redressal Commission under the provision of Consumer Protection Act 2019 and the Consumer protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of Presidents and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020 adopted by Government of Uttarakhand vide G.O No: 954 / 20—XIX—2 / 01 रिट / 2016 dated 11 December 2020.

The eligibility criteria, tenure and qualification will be according to the provisions laid down in the above said Act & Rules. The detail advertisement with form for applying is available at **www.fcsuk.gov.in**

The applicant shall send the duly filled form to the Office of Commissioner, Khadhya Bhawan, Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Mussoorie bypass, Ladpur, Dehradun till dated **10 March 2023** upto 5.00 P.M. by post, by email **schukddn2014@gmail.com** or directly, with all requisite documents. Application forms without all requisite documents and after the due date and time shall not be considered.

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-29/2023-XIX-2/37 खाद्य/2023 टी0सी0 दिनांक 18.01.2023 के क्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्यों के 02 (दो) पदों के लिये आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्यों के 02 (दो) पद जिसमें 50 प्रतिशत न्यायिक पृष्ठभूमि से तथा 50 प्रतिशत अन्य पृष्ठभूमि से।

राज्य आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण 2019 एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेश 954 दिनांक 11 दिसम्बर 2020 द्वारा लागू उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के प्राविधानों के तहत की जायेगी।

पात्रता मानदण्ड कार्यकाल और योग्यता उपरोक्त अधिनियम और नियम में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार होगी। आवेदन हेतु आवेदन प्रपत्र एवं विज्ञापन विभाग की वेबसाईट www.fcsuk.gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदक, आवेदन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर दिनांक **10 मार्च 2023** की सायं 5.00 बजे तक कार्यालय आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड खाद्य भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, देहरादून को डाक अथवा ई-मेल schukddn2014@gmail.com के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से समस्त आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर उपलब्ध करायेगे। बिना आवश्यक दस्तावेजों के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि/समय के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।